आवास-भत्ता P.M. S'chalar Ship के Format के अनुसार

परिशिष्ट – 1

अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को आवास सहायता योजना

नियम 2013

म.प्र. शासन द्वारा अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के लिये आवास सहायता योजना लागू करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाये जाते हैं-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ -
   (1) ये नियम अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को आवास सहायता योजना नियम 2013 कहलायेंगे।
   (2) इनका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में रहेगा।
   (3) राज्य शासन द्वारा जारी आदेश दिनांक से नियम प्रभावशील होंगे।

2 उद्देश्य:-

अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों का उच्च शिक्षा में प्रवेश अन्य वर्ग की तुलना में कम है। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का गुणात्मक रूप से अन्य वर्ग के विद्यार्थियों के समतुल्य प्रवेश सुनिश्चित करने हेतु रणनीति बनाने की आवश्यकता है ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थी आर्थिक अवरोधों से मुक्त होकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर आवास सहायता योजना तैयार की गई है।

3. योजना का स्वरूप व क्रियान्वयन:-
   (1) वर्ष 2013-14 से महाविद्यालयीन स्तर पर अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के हितार्थ योजना प्रदेश के समस्त जिलों में संचालित होगी।
   (2) योजना जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय एवं विकासखंड मुख्यालय पर लागू होगी।
   (3) आवेदन करने वाले विद्यार्थियों में से नियम के अनुसार पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को आवास सहायता दी जायेगी।

आदिम जाति कल्याण विभाग
(शाखा - 5)
वल्लभ भवन, भोपाल.

4. स्वीकृति के अधिकार -

(1) विद्यार्थी द्वारा जिस स्थान/नगर के शासकीय एवं मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय अन्य संस्थाओं में नियमित अध्ययन किया जा रहा है, उस स्थान पर विद्यार्थी के पालक का आवासीय निवास न होने का प्रमाण पत्र/ पालक का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(2) विद्यार्थियों को शपथ पत्र एवं मकान मालिकों के सहमति पत्र के आधार पर स्वीकृति के अधिकार शासकीय संस्थाओं के प्राचार्यों एवं अशासकीय संस्थाओं हेतु संबंद्व शासकीय संस्थाओं के नोडल प्राचार्य को होंगे।

5. पात्रता -

(1) शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं की महाविदयालयों एवं समकक्ष या उच्च स्तर पर नियमित प्रवेशित तथा जिनका अन्य किसी शासकीय छात्रावास में प्रवेश नहीं हुआ हो, वे विद्यार्थी आवास सहायता के पात्र होंगे।

(2) भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं उज्जैन नगरों में रूपये 2000/- प्रति विघार्थी, जिला मुख्यालयों पर प्रति विघार्थी रूपये 1250/- एवं तहसील/विकास खण्ड मुख्यालय पर रूपये 1000/- प्रति विघार्थी प्रतिमाह की दर से आवास सहायता राशि देय होगी।

(3) प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथियों तक प्रवेश लेने वाले एवं आवेदन देने वाले विद्यार्थी योजना के लिये पात्र होंगे।

(4) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में निर्धारित आय सीमा तक के पात्र विद्यार्थी योजना का लाभ ले सकेंगे।

(5) निर्धारित आवास सहायता से अधिक किराये की राशि विद्यार्थियों द्वारा स्वयं वहन करनी होगी। आवास सहायता के अतिरिक्त विभाग द्वारा अन्य कोई सुविधा देय नहीं होगी।

आदिम जाति कल्याण विभाग
(शाखा - 5)
पदालय, वल्लभ भवन, भोपाल.

(6) अनुत्तीर्ण होने पर आगामी वर्ष में विद्यार्थी इस योजना के लिये अपात्र हो जायेंगे।

(7) एक वर्ष पश्चात परिणामों के आधार पर योजना का पुनर्विलोकन किया जायेगा ।

(8) योजना के परिणामों एवं प्रभाव का तृतीय पक्ष (Third Party) मूल्यांकन कराने का प्रावधान रहेगा।

6. भुगतान की प्रक्रिया -

(1) विद्यार्थियों को आवास सहायता पाठ्यक्रम की कालावधि के लिए ही देय होगी।

(2) लाभार्थी छात्र छात्रा मकान मालिक को किराये का भुगतान एकाउन्ट पेयी चैक के माध्यम से करेंगें।

(3) आधार आधारित बैंक एकाउन्ट में डी.बी.टी. योजना के अंतर्गत राशि विद्यार्थियों के खाते में स्थानांतरित की जायेगी।

(4) स्वीकृत राशि 6-6 माह के अंतराल से दो किश्तों में देय होगी। प्रथम किश्त जुलाई माह में 6 माह का अग्रिम तथा द्वितीय किश्त जनवरी माह में देय होगी।

(मीनाक्षी मालवीय)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 12-06/2013/25-2/1860 भोपाल दिनांक 23/12/2016

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के आदिवासी एवं अनुसूचित जाति के बालक/बालिकाओं को अपने गृह निवास से बाहर महाविद्यालयीन एवं उच्च स्तर की शिक्षा निरंतर रखने के लिए आदेश क्रमांक-एफ-12-06/2013/25-2/2039 एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक-एफ-23-04/2013/25-5 दिनांक 11/09/2013 से आवास सहायता योजना नियम वर्ष 2013 जारी किया गया था। उक्त योजना के संचालन हेतु शासन द्वारा समय-समय पर जारी संशोधित आदेशों को समाहित करते हुए आवास सहायता योजना नवीन नियम वर्ष 2016 एतद् द्वारा जारी किये जाते हैं।

2/ यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

अनुसूचित जाति तथा जनजाति बालक/बालिका आवास सहायता योजना नवीन नियम 2016

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभः-

   (1) ये नियम अनुसूचित जाति तथा जनजाति बालक/बालिका आवास सहायता योजना नवीन नियम 2016 कहलायेंगे।
   (2) इनका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में रहेगा।
   (3) राज्य शासन द्वारा जारी आदेश दिनांक से नवीन नियम प्रभावशील होंगे।

2. योजना का उद्देश्य :- अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के बालक/बालिकाओं का उच्च शिक्षा में प्रवेश अन्य वर्ग की तुलना में कम है। अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के बालक/बालिकाओं का गुणात्मक रूप से अन्य वर्ग के समतुल्य प्रवेश सुनिश्चित करने एवं आर्थिक अवरोधों से मुक्त होकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना।

3. योजना का स्वरूप एवं क्रियान्वयन :-

   (1) वर्ष 2013-14 से महाविद्यालयीन एवं उच्च स्तर पर अध्ययनरत् अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बालक/बालिकाओं के हितार्थ योजना प्रदेश के समस्त जिलों में संचालित की गई है। वर्ष 2016-17 से इस योजना का संचालन विभागीय स्कालरशिप पोर्टल 2.0 के साथ ऑन लाईन किया जावेगा।

(2) योजना भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं उज्जैन संभागीय मुख्यालय, अन्य समस्त जिला मुख्यालय एवं समस्त तहसील / विकासखण्ड मुख्यालय स्तर तक लागू होगी।

(3) केन्द्र / राज्य शासन द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय यदि क्रमांक (2) में उल्लेखित मुख्यालय से अन्य ग्राम / कस्बे में हो तो ऐसे ग्राम / कस्बे में निवासरत विद्यार्थी को विकासखण्ड मुख्यालय स्तर की पात्रता होगी।

4. पात्रता :-

(1) ऐसे विद्यार्थी, जो कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात शासकीय एवं मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय / विश्वविद्यालय / अन्य संस्थाओं के स्नातक / स्नातकोत्तर / समस्त उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेशित हैं तथा जिनका किसी भी शासकीय छात्रावास में प्रवेश नहीं हुआ हो, ऐसे विद्यार्थी आवास सहायता के पात्र होंगे।

(2) विद्यार्थी को आवास सहायता की पात्रता अध्ययनरत संस्था के मुख्यालय के आधार पर न होकर, किराये पर निवास के मुख्यालय के आधार पर होगी।

(3) समस्त परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में चयन प्रक्रिया से प्रवेशित अनुसूचित जाति तथा जनजाति की बालिकाओं को नियमित छात्रावास का संचालन प्रारंभ होने तक इस योजना अन्तर्गत आवास सहायता राशि कण्डिका-4 (4) अनुसार प्राप्त करने की पात्रता होगी।

(4) भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं उज्जैन संभागीय मुख्यालयों में रूपये 2000, अन्य जिला मुख्यालयों में रूपये 1250/- तथा तहसील / विकासखण्ड मुख्यालय में रूपये 1000/- प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह की दर से 12 माह के लिए आवास सहायता की राशि देय होगी।

(5) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में निर्धारित आय सीमा तक के पात्र विद्यार्थी योजना का लाभ ले सकेंगे।

(6) एक ही स्थानीय निकाय (नगरीय निकाय / ग्राम पंचायत) की भौगोलिक सीमा में महाविद्यालयीन संस्था या विद्यार्थी का मूल निवास स्थित न होने पर ही योजना की पात्रता होगी। अन्य दूरी का कोई बन्धन नहीं होगा।

(7) निर्धारित आवास सहायता से अधिक किराये की राशि विद्यार्थियों को स्वयं वहन करना होगी। आवास सहायता के अतिरिक्त विभाग द्वारा आवास हेतु अन्य कोई सुविधा देय नहीं होगी।

(8) अनुत्तीर्ण अथवा परीक्षा परिणाम स्थगित होने पर आगामी वर्ष में विद्यार्थी इस योजना के लिए अपात्र होंगे।

एक ही माता / पिता की सभी संतानों को पृथक हितग्राही माना जायेगा।

5. आवेदन की प्रक्रिया :-

(1) विद्यार्थी द्वारा पाठ्यक्रम में प्रवेश की अंतिम तिथि पश्चात विभागीय स्कालरशिप पोर्टल 2.0 पर उपलब्ध आवास सहायता योजना के माध्यम से ऑन लाईन आवेदन करेंगे।

(2) ऑन-लाईन आवेदन करते समय पूर्व कक्षा उत्तीर्ण की अंकसूची, शपथपत्र एवं मकान मालिक का सहमति पत्र/किरायानामा अपलोड करेंगे।

(3) विद्यार्थी आवेदन पत्र को लॉक करने के पूर्व समस्त जानकारियों का परीक्षण कर लें अन्यथा त्रुटिपूर्ण/भ्रामक जानकारी होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

6. स्वीकृति की प्रक्रिया एवं अधिकार :-

(1) स्वीकृति के अधिकार शासकीय संस्थाओं के प्राचार्यो एवं अशासकीय संस्थाओं हेतु सम्बद्ध शासकीय संस्थाओं के नोडल प्राचार्य को होंगे। छात्र द्वारा ऑन-लाईन भरे गये आवेदन पत्र, समग्र आई.डी. से प्राप्त विवरण एवं अपलोड किये गये समस्त अभिलखों के सत्यापन का उत्तरदायित्व स्वीकृतकर्ता प्राचार्यों का होगा।

(2) विद्यार्थी द्वारा ऑन-लाईन किये गये आवेदन पत्र एवं अपलोड किये गये अभिलेखो को पृथक से हार्ड कॉपी में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(3) परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में अध्ययनरत् बालिकाओं को आवास सहायता स्वीकृति के अधिकार उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार संचालक, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र को होंगे।

7. भुगतान की प्रक्रिया :-

(1) आवास सहायता की स्वीकृत राशि का परीक्षण कर जिला संयोजक, आदिवासी विकास अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा विद्यार्थी के बैंक खाते में राशि का भुगतान किया जायेगा तथा स्वीकृतकर्ता अधिकारी को सूचित किया जायेगा। यह संबंधित जिला संयोजक, आदिवासी विकास अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास की जिम्मेदारी होगी कि वह सुनिश्चित करें कि उनके जिले में संचालित महाविद्यालयीन छात्रावासों में स्वीकृत सारी सीटें भरी हुई हों । इसके पश्चात आवास सहायता की राशि जारी की जाए ।

(2) विद्यार्थियों की आवास सहायता निर्धारित पाठ्यक्रम की कालावधि के लिए एक बार ही देय होगी। किराये की गणना महाविद्यालयीन संस्था में प्रवेश लेने की तिथि, किराये से भवन लेने की तिथि (जो भी बाद में हो) से की जायेगी।

Imp

(3) स्वीकृत राशि 6-6 माह के अन्तराल से दो किश्तों में देय होगी। प्रथम किश्त जुलाई माह में 6 माह का अग्रिम तथा द्वितीय किश्त जनवरी माह में देय होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सुषमा शर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग,
भोपाल दिनांक 23/12/2016

पृ0 क्रमांक एफ 12-06/2013/25-2/1875/
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, आदिम जाति कल्याण विभाग।
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण/अनुसूचित जाति कल्याण/उच्च शिक्षा/तकनीकि शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग/वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश को यू.ओ. टीप क्रमांक 23124 दिनाक 27/10/2016 के सन्दर्भ में प्रेषित।
5. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश।
6. संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएँ, भोपाल।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
8. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
9. समस्त संभागीय उप आयुक्त, आदिवासी तथा अनुसूचित जाति विकास म.प्र.।
10. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
11. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश।
12. समस्त जिला संयोजक, आदिवासी जाति विकास मध्यप्रदेश।
13. कम्प्यूटर प्रभारी, कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास भोपाल की ओर उक्त आदेश आदिवासी विकास सर्वर में दर्ज करें।
14. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय
भोपाल

मध्य प्रदेश शासन,
आदिम जाति कल्याण विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक / आईटी / एबीवाए / 2016 / एफ-12-06/2013/25-2/1067 भोपाल, दिनांक 28/07/2016

"आदेश"

विषयः अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं हेतु आवास सहायता नियम 2013 में संशोधन।

राज्य शासन द्वारा आदेश क्रमांक एफ–12–06 / 2013 / 25–2 / 2039–40 दिनांक 11.09.2013 में अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं को आवास सहायता योजना नियम–2013 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान करता हैः–

कण्डिका 4.2: स्वीकृति के अधिकार के कॉलम में सरल क्रमांक 4.2 को परिवर्तित किया जाता है।

आवास सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन की स्वीकृति ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन के साथ ही होगी। आवास सहायता योजना के स्वीकृति अधिकार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ही होंगे।

शेष नियम यथावत लागू रहेंगे।

आवास सहायता

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग

पृ. क्रं / आईटी / एबीवाए / 2016 / एफ-12-06/2013/25-2/1068 भोपाल, दिनांक 28/07/2016

प्रतिलिपिः

1. निज सचिव, माननीय मंत्री मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री भोपाल।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
4. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।
5. आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश भोपाल।
6. संचालक / अपर आयुक्त, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, श्यामला हिल्स, भोपाल।
7. समस्त कलेक्टर्स मध्यप्रदेश।
8. श्री सुनील जैन, तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र भोपाल।
9. श्री विनीत तिवारी, वरिष्ठ तकनीकी सलाहकार, आयुक्त आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. समस्त संभागीय उपायुक्त, आदिवासी तथा अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश।
11. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
12. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश।
13. समस्त जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

टीप : आदेश पत्र की प्रति, विभाग के अधिकृत शासकीय ई–मेल द्वारा प्रेषित की जा रही है एवं पृथक से मुद्रित प्रति नहीं भेजी जाएगी।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग

(130)

कार्यालय, आयुक्त आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 29/7/16

पृ0क्रमांक / 455 / 2016 / 16867

प्रतिलिपि :—

1. समस्त कलेक्टर, म.प्र. को सूचनार्थ । भोपाल
2. समस्त संभागीय उपायुक्त, आदिवासी तथा अनुसूचित जाति विकास म.प्र. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. समस्त जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(5)

आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

Govt. Hamidia Arts and Commerce College, Bhopal
Session 2021-22

Aawas Sahayta Yojna 2021-22	
S No.	**Name**
1.	Shivendra Prasad Saket/ Premlal
2.	Sunil Malviya/ Jagannath
3.	Kaluram Ahirwar/ Jalamsingh
4.	Rajesh Bakhariya/ Radheshaya m
5.	Hariom Ahirwar/ Babulal
6.	Pradeep Singh Jatav/ Nathansinghjatav
7.	Deepak Mehar/ Babulalmeha r
8.	Ravi Shakya/ Deviram
9.	Sunil Kumar/Premnarayan
10.	Sourabh Vanshkar/ Sateesh
11.	Pushpendra Ahirwar/ Ghanshyam Das Ahirwar
12.	Sumit Bagahe/ Gaganbagah e
13.	Deepak Shakya/ Malam Singh
14.	Brijesh Kumar Ahirwar/ BalkishanAhirwar
15.	Prakash Bansal/ MevalalBansal
16.	Chunmun Barar/ Gourishankar Barar
17.	Sandeep/ Bharat Singh
18.	Ankush Dahayat/ Sundarlala
19.	Rajkumar Ahirwar/ KadoriLalAhirwar
20.	Rahul Bamniya/ Chainsingh
21.	Nilesh Golait/ Bhimrao
22.	Ajay Verma/ Jageshwarverma
23.	Vikas Ahirwar/ Ramesh Ahirwar
24.	Ashish Ahirwar/ NandramAhirwar
25.	Sunil Jatav/ Ramlal
26.	Rajkumar Malviya/ Harinarayan Malviya
27.	Pramod/ Malam Singh
28.	Manoj/ Prem
29.	Dinesh Kumar/ Balvant Singh
30.	VikashAhirwar/ GaneshramHarijn
31.	Ravindra Anuragi/ Sukhlal Anuragi
32.	Mithlesh Kishore/ Jeevan Singh

PRINCIPAL
Govt. Hamidia Arts & Commerce
College, Bhopal

Aawas Sahayta Yojna 2021-22	
S No.	Name
33.	Vikas/ DaulatShivankar
34.	Amit Bargel/ Phul Singh Barghel
35.	Krishn pal/ Babu Lal
36.	Deepak Kumar Ahirwar/ Seetaram Ahirwar
37.	Vijay Kumar/ Kaluram
38.	Rajendra Singh/ Halkeram
39.	Rajendra Ahirwar/ Ramkishan Ahirwar
40.	Pawan / Badriprasad
41.	Rajendra Jatav/ Lakhanlal Jatav
42.	Ankit Malviya/ Suresh Kumar Malviya
43.	Sunil/ Kailash
44.	Jitendra Ahirwar/ Kamal Singh
45.	Ajay Mehar/ Roop Singh Mehar
46.	Ankit Mehar/ Gorelal Mehar
47.	Harendra Prabhakar/ Rajendra Prasad Ahirwar
48.	YashKori / Laxminaraya n Kori
49.	Rudresh Gohiya/ Yogendra Kumar
50.	Rajendra Mandre/ Mansharammandre
51.	Rahul Singh/ Shankar Singh
52.	Maneesh/ Shankarlal
53.	Krishna Pandole/ Sevarampan dole
54.	Sandeep Ahirwar/ Gheesulal
55.	Ashutosh Mandevar/ Shyamlal Mandevar
56.	Rahul Harijan/ Ashok
57.	Pohap Ahirwar/ Kaliram
58.	Ganesh Prasad/ Ramnath
59.	Raja Kumar/ Maniram
60.	Bhagwan Singh/ Hari Prasad jatav
61.	Ashok Ahirwar/ Mohar singh
62.	Anil Jatav/ Ram dayal jatav
63.	Deepak/ Durgesh
64.	Umesh Kumar Prajapati/ Vedanti Prajapati
65.	Ritik Kalavat/ C/o Pappu Kalawat
66.	Ravindra/ MunnaLal
67.	Rohit Katare/ Vikram Singh

PRINCIPAL
Govt. Hamidia Arts & Commerce College, Bhopal

Aawas Sahayta Yojna 2021-22

S No.	Name
68.	Sunil Vijoriya/ Ashok Kumar Vijoriya
69.	Vikas Mehar/ Sundarlal
70.	Mamtesh/ C/o Lakhan
71.	Sonu Songara/ Ramprasad
72.	Lalit Ahirwar/ Khemchand
73.	Suresh Shivankar/ Daulat
74.	Ravi Rajak/ Parsram
75.	Arun Kumar Raidas/ Heera lal raidas
76.	Vijay Ahirwar/ Banesingh
77.	Jeetendra Ahirwar/ Suraj Singh
78.	Gabbar Singh/ Ramdyal
79.	Dheeraj Dohare/ Rameshwardayal
80.	Raghuveer Veldar/ Rajmal Veldar
81.	Rohit Katare/ Vikram Singh
82.	Rohit Rajak/ Badriprasad
83.	Shubham Rajak/ Badri
84.	Shani Barar/ AsharamBarar
85.	Vikas Ahirwar/ Ragwar
86.	Sanjeev Ahirwar/ Kanchhedi Lal
87.	Surendra
88.	Manoj Barval
89.	Harshal Gajbhiye
90.	Sanjay
91.	Kuldeep Dhanware
92.	Sanjay Kumar Ahirwar
93.	Umesh Ahirwar
94.	Ravi Kumar
95.	Vinod Kumar
96.	Deepu Ahirwar
97.	Atul
98.	Kripal Singh Ahirwar
99.	Dev SinghVarma
100.	Brajesh Kumar
101.	Devendra Kumar Panthi
102.	Narendra Kumar

PRINCIPAL
Govt. Hamidia Arts & Commerce
College, Bhopal

Aawas Sahayta Yojna 2021-22	
S No.	**Name**
103.	Krishna Bansal
104.	Pranay Bambode
105.	Vinita
106.	Satish Ahirwar
107.	Rahul Khangar
108.	Shubham Dhawan
109.	Adalti Prasad Prajapati
110.	Aajad Malviya
111.	Manoj Jatav
112.	Arun Kumar
113.	Anshul Kumar
114.	Pradumn Mahalvanshi
115.	Vikas Verma
116.	Jitendra Ahirwar
117.	Ranjeet Ahirwar
118.	Manohar
119.	Dinesh Bamre
120.	Rajneesh Banshkar
121.	Anup Ahirwar
122.	Kamal bhan Saket
123.	Sanjay
124.	Veerendra Singh
125.	Mahesh Ahirwar
126.	Abhishek Gorya
127.	Ankit Baagri
128.	Manoj Ahirwar
129.	Rahul Ahirwar
130.	Avadhnaresh
131.	Makhan Ahirwar
132.	Sundar Lal
133.	Arvind Kumar Ahirwar
134.	Surya Prakash
135.	Ram Babu
136.	SudhirAhirwar
137.	Pankaj Parihar

PRINCIPAL
Govt. Hamidia Arts & Commerce
College, Bhopal

Aawas Sahayta Yojna 2021-22	
S No.	**Name**
138.	Krishna Mohan
139.	Anand Kumar Gehlot
140.	Ritik Malviya
141.	Rajesh Kumar Ahirwar
142.	Suneel Sarvan
143.	Abhishek
144.	Raj Mehra
145.	Abhishek Mehra .
146.	Rajendra Barar
147.	Rohit Nagle
148.	Nitesh Kumar
149.	Bhoora Singh Ahirwar
150.	Rakesh Choudhary
151.	Gopal Singh Ahirwar
152.	Nilesh Kumar
153.	Sanjay
154.	Rambharos
155.	Rahul Jatav
156.	Sanjeev Kumar
157.	Vinod Kumar Ahirwar
158.	Sunil Ahirwar
159.	Pawan Ahirwar
160.	Narayandas Prajapti
161.	Ashish Kumar Dhanware
162.	Kailash Prasad Raidas
163.	Gourav
164.	Kul Singh
165.	Sandeep Ahirwar
166.	Rajesh Silawat
167.	Mastan Katare
168.	Rahul
169.	Shivkumar Suryavanshi
170.	Lucky Panthi
171.	Devendra
172.	VijendraMehra

PRINCIPAL
Govt. Hamidia Arts & Commerce
College, Bhopal

Aawas Sahayta Yojna 2021-22	
S No.	**Name**
173.	Vishal Sagar
174.	Manoj Sagar
175.	Sanju Jatav
176.	Om Prakash
177.	Gulab Ahirwar
178.	Yash Kumar Chaukiker
179.	Pramod Kumar Malviya
180.	Aman Bedia
181.	Shiv Kumar Ahirwar
182.	Rakesh Ahirwar
183.	Tarun Harsule
184.	Vikash
185.	Sourabh Dehariya
186.	Umesh
187.	Lekhram
188.	Ajay Jatav
189.	Abhishek Sagar
190.	Amit Kumar
191.	Aman Sagar
192.	Vishal
193.	Golu
194.	Neeraj Ahirwar
195.	Rohit Ahirwar
196.	Shobharam Ahirwar
197.	Jashpal Nagar
198.	Rameshwar Prasad
199.	Suraj Ahirwar
200.	Pradeep Ahirwar
201.	Hemant Chourase
202.	Nitesh
203.	Kamlesh Ahirwar
204.	Ravi
205.	Ajay Kumar
206.	Jitendra Ahirwar
207.	Jitendra Pandole

PRINCIPAL
Govt. Hamidia Arts & Commerce
College, Bhopal

Aawas Sahayta Yojna 2021-22	
S No.	**Name**
208.	Gabbar Ahirwar
209.	Shivam Jatav
210.	Sanju Ahirwar
211.	Rajendra Ahirwar
212.	Ashvin Gajbhiye
213.	Hanumat Ahirwar
214.	Ravi Bakoriya
215.	Niraj Mehar
216.	Karan Kumar
217.	Divyanshu Bisandre
218.	Anil Kumar Verma
219.	Chandni Khande
220.	Vishal Ahirwar
221.	Gourav Ahirwar
222.	Himanshu Narnavre
223.	Prabhat Nirapure
224.	Piyush Gondane
225.	Mukesh Kumar Ahirwar
226.	Sandeep
227.	Abhishek Ahirwar
228.	Devraj Dangoliya
229.	Arjun Ahirwar
230.	Tushar Bhoyar
231.	Sapna Bansod
232.	Sharad Choudhri
233.	Abhishek Jhariya
234.	Radhika Nagwanshi
235.	Rohit Ahirwar
236.	Vishal Dagore
237.	Pradeep
238.	Vishnu Prasad
239.	Varsha Banshkar
240.	Jay Kumar Jhriya
241.	Atul Malviya
242.	Anil

PRINCIPAL
Govt. Hamidia Arts & Commerce
College, Bhopal

Aawas Sahayta Yojna 2021-22	
S No.	Name
243.	Jitendra Ahirwar
244.	Kapil Kumar Chouhan
245.	Hemraj
246.	SANJU BAGHEL
247.	RohitSahare
248.	Krishnpal Singh
249.	Jitendra Ahirwar
250.	Ravi Ahirwar
251.	Vinod Malviya
252.	Rajesh Malviya
253.	Pawan
254.	Arvind Malviya
255.	Vishal Malviya
256.	Pawan Ahirwar
257.	Purshottam
258.	Devendra Kumar
259.	Praveen Kumar
260.	Sunil Atariya
261.	Ajay Silodiya
262.	Varsha
263.	Vijendra
264.	Trishna Dehariya
265.	Rahul Kumar Ahirwar
266.	Hemant Barkare
267.	Rajesh Damor
268.	Rohit Tumram
269.	Sourabh
270.	Rohit Ahake
271.	Mahesh Bamniya
272.	Vishnu Bilwal
273.	Nikesh Singad
274.	Deepak
275.	Pawan Singh Uikey
276.	Ashish Katara
277.	Sunil Damor

PRINCIPAL
Govt. Hamidia Arts & Commerce
College, Bhopal

Aawas Sahayta Yojna 2021-22	
S No.	**Name**
278.	Arvind Garwal
279.	Deepak Adiwasi
280.	Hitesh Maida
281.	Vinod Damar
282.	Chandra KiranWalre
283.	Shantu Parmar
284.	Balram
285.	Pankaj Machar
286.	Yogesh
287.	Fuldev Vasuniya
288.	Umakant
289.	Abhilekh Dhurve
290.	Hanumant Mousik
291.	Sanand Kumar
292.	Anil
293.	Kapil Vasuniya
294.	Navneet Bagh
295.	Uttam Dhurve
296.	Sanjay
297.	Ramdas Damor
298.	Balusingh Nigwal
299.	Munesh Dindod
300.	Vikash Vasuniya
301.	Ankit Kumar Singh
302.	Anand
303.	Bharat Akhande
304.	Deelip Singh
305.	Suraj Lal
306.	Javed Parte
307.	Aashutosh
308.	Shubham Wakde
309.	Bheem Singh Bhallavi
310.	Rahul Kumre
311.	Pramod
312.	Mahesh Dhurwe

PRINCIPAL
Govt. Hamidia Arts & Commerce
College, Bhopal

Aawas Sahayta Yojna 2021-22

S No.	Name
313.	Sanjay Katara
314.	Raksingh Kanesh
315.	Yagyanarayan Singh Gond
316.	Rajendra Dhurve
317.	Priya Singh
318.	Sachin Bhallavi
319.	Sandeep Uikey
320.	Vijay Singh
321.	Navindra Kumar Singh
322.	Dharmendr Maravi
323.	Harish Chandra Dhurvey
324.	Sachin Dhurve
325.	Akhilesh Sutar
326.	Mukesh Thakur
327.	Sunil
328.	Deepak
329.	Akish Raymond Dawar
330.	Rahul Uikey
331.	Bhagirath
332.	Manoj
333.	Rakesh Muniya
334.	Yuvraj Markam
335.	Nandani Chouhan
336.	Sangita Rathor
337.	Rinku Mujalde
338.	Dipesh Bhabor
339.	Shalini Meda
340.	Raj Kumre
341.	Parvati Baghel
342.	DheshrajIn wati
343.	Abhishek Uikey
344.	Durga Pandram
345.	Neeta Dhurve
346.	Mayank
347.	Tejesh Damor

PRINCIPAL
Govt. Hamidia Arts & Commerce
College, Bhopal

Aawas Sahayta Yojna 2021-22	
S No.	**Name**
348.	Laxman Palasiya
349.	Mehul Jhala
350.	Punil Singad
351.	Ranjeet Uikey
352.	Sanjay Amliyar
353.	Arjun Dhak
354.	Rupali Maravi
355.	Titu Garwal
356.	Ramprasad
357.	Sohan Tokriya
358.	Mahesh Vakhla
359.	Sanju Pachaya
360.	Arjun Bhuriya
361.	Sandeep Bansare
362.	KuldeepInwati
363.	Priya Charpota
364.	Ajay Sariyam
365.	Nilesh Dawar
366.	Tarachand Guthre
367.	Gurlal Guthre
368.	Ravsaheb Guthre
369.	Rakesh Dawar
370.	Rajesh Dawar
371.	Siyadee Dawar
372.	Pankaj Singar
373.	Anil Damor
374.	Nirmala Rawat
375.	Laxmi pachi
376.	Reena Dawar
377.	Pravesh Singar
378.	Sangeeta Bamaniya
379.	Anil Sisodiya
380.	Sunil Charpota
381.	Sumitra Damor
382.	Jitendra Chouhan

PRINCIPAL
Govt. Hamidia Arts & Commerce College, Bhopal

Aawas Sahayta Yojna 2021-22	
S No.	**Name**
383.	Mukesh Rawat
384.	Shree Ram Mandloi
385.	Jagadish Bhabar
386.	Bhagvantee Vattee
387.	Chetna Bhilala
388.	Prakash Sisodiya
389.	Arvind Uikey
390.	Dev Kumar

PRINCIPAL
Govt. Hamidia Arts & Commerce
College, Bhopal